D:\Sabla folder\Sabla.doc102

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(8)पो/सबला/ICDS/2010/34442-761 जयपुर, दिनांक 27-2-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (सीकर जिले को छोडकर)।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (सीकर जिले को छोडकर)।

विषयः–किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (पूर्व नाम सबला) योजनान्तर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः–संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार केपत्रांक दिनांक 08.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके जिले में किशोरी बालिकाओं के लिए योजनान्तर्गत (पूर्व नाम सबला) 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर–पोषणीय गतिविधियों से लाभान्वित किये जाने के लिए जिले में 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह जनवरी 2018 से लॉगिन एवं पासवर्ड आर.आर.एस.–आईसीडीएस का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पोर्टल http://sag-rrs.nic.in. पर फिड करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना है । इसकी सहायता के लिए support-sagrrs@gov.in. का उपयोग किया जा सकता है।

अतः भारत सरकार से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि किशोरी बालिकाओं के लिए योजनान्तर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट आर.आर.एस. के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करावें।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(8)पो/सबला/ICDS/2010/34762-781 जयपुर, दिनांक 27-3-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक (मो.), मु. को भेजकर लेख है कि किशोरी बालिकाओं के लिए योजनान्तर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट का संकलन आर.आर.एस. के माध्यम से सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

(मनोज कुमार)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)